

९-५-१९

पञ्चावली पत्रादिसु। वकिल प्रामाणिको दाजिर कही। करि-२
आवाज लगाने गी। करि-२ आवाज लगाने के बाद भी
या दो वकिल प्रामाणिको दाजिर और न ही स्वयं प्रामाणिको
दाजिर करि-५। पत्र के अदर दाजरी अदर देवी के
आदिज दिया जाता है। पञ्चावली केवल शुमार होकर
गाने के हक हो न दाखिल रफ्तार हो। दाखिल

उपखण्ड आवाज
पत्रादिसु